कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ.19( )2011/कार्मिक–राज/प्रमुवसं/ दिनांक

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाते है एवं अवकाश हेतु आवेदन करने के पश्चात अधिकारीगण अवकाश स्वीकृत हुए बिना ही अवकाश पर प्रस्थान कर जाते है। कार्मिक (क–1) विभाग द्वारा इस स्थिति को गम्भीरता से लिया गया है तथा भविष्य में समस्त भावसे अधिकारियों को अवकाश स्वीकृति के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि भारतीय वन सेवा अधिकरियों के उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग)/कार्मिक (क–1) विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय को अवकाश स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाते है, अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अपने उपार्जित अवकाश के आवेदन नियमानुसार 21 दिवस पूर्व अपने नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि समय पर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग)/कार्मिक (क–1) विभाग को प्रेषित किये जा सके। भविष्य में अवकाश स्वीकृति के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करना सुनिश्चित करें। उक्त 21दिवस की अवधि में संबंधित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा ऐसे अवकाश के प्रकरणों को उनके स्तर से इस कार्यालय को अग्रेषित करने की समयावधि भी सम्मिलित हैं जो अधिकतम 2 दिवस तक होना सुनिश्चित करें।

EO

(सी.एस.रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.19( )2011/कार्मिक–राज/प्रमुवसं/4038-4168 दिनांक 27.8.2018
प्रतिलिपि समस्त भारतीय वन सेवा अधिकारियो को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(कुमार स्वामी गुप्ता)
उप वन संरक्षक, (संस्थापन),
जयपुर

E:\all files\Madan Ji\Office Order File.docx256

Scanned by CamScanner